


214/2007
जीमा व/५ मूला वगै

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुकम

19/11/24

नहीं आया। समय 5-50 PM हो चुका है।
 न्यायाद्वैत में वादीगण/वादी आधीवक्ता
 की पुनः एक बार आवान लगवाई गई।
 परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। वादीगण
 एवं वादी आधीवक्ता के न्यायालय में
 उपस्थित नहीं आये। वादी द्वारा उपलब्ध
 वाद अन्तर्गत धारा 188 शब्दात्मक
 कार्यकारी आदेशिका का शारिज किया
 जाया है। पत्रावली कैसल शुमार लेकर
 वादील नफरत हो। निधि बरे इवलास
 सुनाया गया। रिडी प्रचिारी हो।
 पत्रावली कैसल शुमार लेकर
 वादील नफरत हो तथा नम्बर से कम
 हो।



19/11/24

सहायक कलक्टर

मीलवाड़ा

पुनश्च: उपवादीगण एवं उपनिवदिगण आदि
 के उपस्थित नहीं होने से उपवादीगण
 द्वारा वाद में उपलब्ध काउण्टर क्लेम भी
 शारिज किया जाता है। निधि सरे वलास
 सुनाया गया। रिडी प्रचिारी हो।

पत्रावली कैसल शुमार लेकर
 वादील नफरत हो तथा नम्बर से कम हो।


19/11/24

सहायक कलक्टर

मीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी-अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. घीसा पुत्र नाथू जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी कुम्हारिया खेड़ा मजरा पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. बट्टी पुत्र नाथू जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी कुम्हारिया खेड़ा मजरा पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. मूला पुत्र मांगू जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी कुम्हारिया खेड़ा मजरा पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. जमना पुत्र मांगू जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी कुम्हारिया खेड़ा मजरा पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. काना पुत्र मांगू जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी कुम्हारिया खेड़ा मजरा पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. मोहन पुत्र मांगू जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी कुम्हारिया खेड़ा मजरा पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. गोर्धन पुत्र मांगू जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी कुम्हारिया खेड़ा मजरा पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. कैलाश पुत्र हीरा जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी कुम्हारिया खेड़ा मजरा पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण


वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दावा:- स्थाई निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 214/2007 राजस्व वाद

वादीगण स्वयं एवं वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मांगी लाल सेन उपस्थित नहीं । प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 उपस्थित नहीं - इस वाद में आज तारीख 19.11.2024 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है-

वादीगण एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज किया जाता है। साथ ही प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने से उनके द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम भी खारिज किया जाता है।


(अरुण कुमार जैन) 19/11/24

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा